न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 09 / 2018

सप्पार खान उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत उदाका तहसील कांमा

.....

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी(द्वितीय) जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 30–11–2017 बाबत प्रकरण संख्या 94 / 17, 74 / 17

निर्णय **दिनांक 23.4.2018**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 30–11–2017 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट द्वारा आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश की गई जो शामिल मिसिल की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य वगे0 प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध में हमारा ध्यान राज. खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदेश 1976 के आदेश खण्ड 8(2) की ओर आकर्षित किया । उनका यह भी कहना है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन विभागीय प्रकरण संख्या 94 / 17 तथा प्रकरण संख्या 74 / 17 को एक साथ नत्थी कर दिया गया जिससे प्रार्थी को पता ही नहीं चला कि प्रार्थी के खिलाफ अन्य कोई केस 74 / 17 भी विचाराधीन है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के खिलाफ 39.05 क्वि. गेंहू कम होना, 123.5 कैरोसीन अधिक मिलना, 9.5 किलोग्रांम चीनी स्टॉक में अधिक मिलना का दोषी माना है जो गलत है। प्रवर्तन स्टाफ ने मोके पर भौतिक सत्यापन नहीं कर कागजी कार्यवाही कर गलत रिपोर्ट पेश की गई है। इसी प्रकार 7.30 क्वि. गेंहू का वितरण उपभोक्ताओं को किया गया है। अपीलान्ट डीलर ने सामग्री का वितरण पोश मशीन से किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वक्त निरीक्षण केरोसीन तेल एवं चीनी का अधिक पाये जाने का आरोप सरासर गलत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वक्त निरीक्षण केरोसीन तेल एवं चीनी का अधिक पाये जाने का आरोप सरासर गलत है। प्रवर्तन स्टाफ ने मौके पर अगर अधिक सामग्री पाई जाती है तो वे अवश्य ही उसे जप्त करते परन्तु यहॉ ऐसा नही है क्यों कि मौके पर भौतिक सत्यापन ही नहीं किया गया है। सत्यता यह है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा दिनांक 23.3.17 को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी जांच में यह उल्लेख नहीं किया है कि डीलर द्वारा वक्त जॉच उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण कार्य किया जा रहा है। दिनांक 23.3.17 को गेंहू कैरोसीन व चीनी का उपभोक्ता को वितरण किया गया है, प्रवर्तन निरीक्षक ने दिनांक 23.3.17 को की गई जॉच में उपभोक्ताओं के सामग्री वितरण के पश्चात, वितरण की गई सामग्री का कुल स्टॉक में से नही घटाया गया है। उपभोक्ताओं के वितरण के पश्चात शेष रहे 1.05 क्वि. अन्त्योदय योजना का गेंहू एवं खाद्य सुरक्षा का 58.81 किग्रा. गेहूँ को आदेशानुसार डीलर श्री कुन्दन सिंह को सुपुर्द किया गया था, जो रिकार्ड से साबित है। 7.30 क्वि. गेहूं का पोस मशीन से उपभोक्ताओं को वितरण किया गया है, सम्बन्धित उभोक्ताओं ने गेंहू प्राप्त करने के अपने शपथ पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, तहत न्यायालय ने केवल प्रस्तुत शपथ पत्रों की भाषा एक जैसी होने उनको साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया गया है जो सरासर नियमों के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय को सम्बन्धित उभोक्ताओं को साक्ष्य में तलब कर सत्यता की जॉच करनी चाहिये थी। परन्तु तहत न्यायालय ने साक्ष्य वगे, तलब नहीं कर केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो नियमों के खिलाफ है। उनका यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक भी एक पक्ष है। तहत न्यायालय ने प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट की सत्यता के लिये साक्ष्य को तलब कर परीक्षण नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि कभी कभी उपभोक्ता राशनकार्ड नहीं लाते हैं या राशनकार्ड घर पर अभी नहीं मिल रहा कर राशन सामग्री देने को धमकी देते हैं, कहते है राशन सामग्री खत्म हो जावेगी तू हमको राशन सामग्री ददे बाद में राशनकार्ड में चढवा ले जावेंगे। उनका कहना है कि ग्रामीण परिवेश में उपभोक्ताओं की इस समस्या से डीलर को दोचार होना पड़ता है। इसमें डीलर की कोई बदनीयत नहीं हैं। उनका यह भी तर्क है कि डीलर को खिलाफ कोई कालाबाजारी करने का या कालाबाजारी करते हुये पकड़े जाने जैसा कोई आरोप नही है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नियमों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, अपीलान्ट डीलर की सप्लाई चालू किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई

पैरोकार रसद ने अपने तर्को में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने विधिवत सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। तहत न्यायालय में प्रस्तुत उपभोक्ताओं के शपथ पत्रों एक जैसी भाषा अंकित की गई हो जो पाश्चतवर्ती सोच के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलान्ट साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उन्होने अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रवर्तन स्टाफ रसद द्वारा अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 23.3.17 को किया गया है। प्रवर्तन

निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट की दुकानों में 39.05 क्वि. गेंहू कम होना, 123.5 कैरोसीन अधिक मिलना, 9.5 किलोग्रांम चीनी स्टॉक में अधिक मिलना बताते हुये जिला रसद अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई है। प्रवर्तन निरीक्षण की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि यह जॉच दिनांक 23.3.17 को डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को सामग्री (गेंहू, कैरोसीन तेल एवं चीनी) वितरण के दोराने की गई है या सामग्री वितरण से पहले। डीलर का यह कहना है कि दिनांक 23.3.17 को सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को किया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन स्टाफ द्वारा उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण के बाद भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये था। परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक ने यहॉ ऐसा नहीं किया गया। तहत न्यायालय ने भी इस बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया गया है, प्रवर्तन स्टाफ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सत्यता के लिये दिनांक 23.3.17 को उपभोक्ताओं के सामग्री वितरण पश्चात की स्थिति के लिये अपीलान्ट डीलर से रजिस्टर वगे. तलब कर जॉच करनी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश में उपभोक्ताओं की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों पर एक सही भाषा लिखने मात्र से कोई सन्देह था तो उन्हें साक्ष्य को व्यक्तिशः तलब कर जॉच करना चाहिये थी। अपीलान्ट डीलर द्वारा निलम्बन / निरस्ती आदेश के बाद दूकान में वितरण शेष बचा 105 किलोग्रांम अन्तोदय का गेहूं, एवं 58.81 गेंहू खाद्य सुरक्षा को डीलर कुन्दन सिंह को चार्ज में दिया जाना बताया गया है यह जांच का विषय है। तहत न्यायालय ने प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट की सत्यता परीक्षण के लिये साक्ष्य को तलब कर परीक्षण करना चाहिये था।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर तहत न्यायालय ने प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई जांच की सत्यता के लिये साक्ष्य तलब कर उनका परीक्षण नहीं किया गया है। उक्त पॉच शिकायतकर्ताओं एवं अन्य उपभोक्ताओं को भी तलब कर अपीलान्ट को भी जिरह का मौका देते हये सत्यता का परीक्षण किया जाना चाहिये था। विस्तृत जांच की जाकर तहत न्यायालय को परीक्षण उपरान्त अपना विस्तृत अभिमत व्यक्त करना चाहिये था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर के खिलाफ कालाबाजारी एवं गबन जैसा कोई आरोप नहीं पाया गया है। केवल डीलर द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण तहत न्यायालय ने आरोपों को सिद्व माना है। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता जब कि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावें। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के किस प्रावधान में व प्राधिकार पत्र की किस शर्तों का किस रुप में उल्लंघन किया गया है, परीक्षण न्यायालय को साक्ष्य एवं सबूतों का परीक्षण कर स्पष्ट किया जाना चाहिये था। अस्तु अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रकरण में पुनः परीक्षण कर निर्णय लिये जाने हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–11–2017 निरस्त किया जाता है। डीलर की वितरण व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से चालू की जाती है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त

विवेचनानुसार प्रकरण में पुनः परीक्षण कर पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत का अवसर देते हुये गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.4.2018 को सुनाया गया ।

(डा.एन.के. गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official